

कार्यालय – जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट।

आदेश संख्या- 29 /2026

दिनांक- 27, फरवरी, 2026

आदेश

सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, चित्रकूट द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि होलिका दहन के पश्चात सार्वजनिक रूप से होली 02 दिन मनाते हुए रंग खेले जाते हैं। वादकारी एवं अधिवक्तागण ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं और उनका प्रतिदिन गांव से ही आवागमन होता है, जिसके कारण न्यायालय में मुकदमा की पैरवी हेतु अत्यन्त असुविधा रहेगी तथा जिलाधिकारी चित्रकूट के कार्यालय में दिनांक 05.03.2026 को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है। अतः जनहित में पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश बुद्धपूर्णिमा दिनांक 01.05.2026 के स्थान पर दिनांक 05.03.2026 को होली किए जाने के प्रार्थना की गयी है।

जिला अधिवक्ता संघ चित्रकूट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कैलेण्डर में होली पर्व का दिनांक 05.03.2026 को अवकाश घोषित किया गया है। जनहित एवं वादकारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.05.2026 को पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 05.03.2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

अतः दिनांक 05.03.2026 दिन बृहस्पतिवार को इस न्यायिक अधिष्ठान के वाह्य न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर सहित सभी न्यायालय में अवकाश रहेगा तथा दिनांक 01.05.2026 को पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाता है। दिनांक 01.05.2026 (शुक्रवार) को इस न्यायिक अधिष्ठान के वाह्य न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर सहित सभी न्यायालय न्यायिक कार्य हेतु खोले जाएंगे।

सर्व संबंधित सूचित हो।

(शेष भाग) 27/02/26
जनपद न्यायाधीश
चित्रकूट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, चित्रकूट।
2. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
3. पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट।
4. जिला कारागार, चित्रकूट।
5. जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. वाह्य न्यायालय मऊ व ग्राम न्यायालय मानिकपुर सहित सभी न्यायालयों को सूचनार्थ।
7. जिला बार एसोसिएशन, कर्वी, चित्रकूट।
8. सदर नाजिर, जनपद न्यायालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
9. सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, चित्रकूट।